न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
02/2017/प्रार्थना पत्र	13.01.2017	06.04.2017

उनवान

ऊँकार पिता चतुर्भुज कुमावत निवासी गणेशपुरा तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थी

बनाम

1– रामकिशन पिता देवबक्ष कुमावत निवासी डेलास तह0 फूलियाकलां
2– नाना पिता हरदेव गुर्जर निवासी ड़ोई का खेड़ा तह0 फूलियाकलां
3–4 मूलचन्द, बाला पिता देबी गुर्जर निवासी ड़ोई का खेड़ा तह0 फूलियाकलां
5–12 बद्रीलाल, रामलाल, लक्ष्मण, मु0 बाली, मु0 राधा, मु0 कमला, मु0 उदी, मु0 रामघणी पिता रामचन्द्र कुमावत निवासी गणेशपुरा तह0 फूलियाकलां
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का डेलास तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण नं0 5 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 42 आ0न0 133 रकबा 1.02 है0 व आ0न0 134 रकबा 0.97 है0 आराजीयात स्थित है। विपक्षीगण नं0 5 लगायत 12 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्व किसी भी प्रकार की दाद नही चाही गई है। प्रार्थी की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण नं0 1 लगायत 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है व सीमा संबंधी विवाद विपक्षीगण नं0 1 लगायत 4 द्वारा किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी स्वयं दिनांक 28.11.2016 को अपनी आराजी पर गया तब विपक्षीगण नं0 1 लगायत 4 द्वारा विवाद किये जाने के कारण प्रार्थी को वाद हेतु दिनांक 28.11. 2016 से पैदा होकर जारी है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.03.2017 को विपक्षीगण 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। अपने जवाब मे बताया कि जवाबदार ने प्रार्थी से सीमा बाबत विवाद नही किया क्योकि जवाबदार ने अपनी आराजी के चारों सीमाओं पर थौर लगा रखे है। एवं देशी बम्बूल लगे हुये है। प्रार्थी उसके खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढ़ी

2017 को आवाजे दिलाई गई अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 बावजूद सूचना व सम्मन तामील के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दिनांक 06.04.2017 को अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जमाबन्दी ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का डेलास मे स्थित आ0न0 133 रकबा 1.02 है0 व आ0न0 134 रकबा 0.97 है0 किता 2 रकबा 1. 99 है0 प्रार्थी एवं विपक्षीगण 5 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का डेलास तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 5 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 42 आ0न0 133 रकबा 1.02 है0 व आ0न0 134 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 रकबा 1.99 है0 की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 800/– (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।